राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
अंकेक्षण अनुभाग

विषय : **वर्ष 2024–25 के लिए विनियोग व वित्त लेखों में समाविष्ट मांगों (Grants) में हुए आधिक्य/बचत के संबंध में लेखाशीर्षवार उत्तर/टिप्पणी भिजवाने तथा अनियमितताओं के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में।**

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (विनियोग व वित्त लेखे) 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्थान विधानसभा में दिनांक **03–02–2026** को उपस्थापित किये जा चुके हैं। उक्त विनियोग एवं वित्त लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान की वेबसाईट https://cag.gov.in एवं **https://cag.gov.in/ae/rajasthan/hi** पर उपलब्ध है।

जैसा कि आपको विदित है उक्त लेखों में समाविष्ट मांगों (Grants) में हुए आधिक्य/बचत के संबंध में लेखाशीर्षवार उत्तर/टिप्पणी प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–I) राजस्थान से संवीक्षोपरान्त राजस्थान विधानसभा (जनलेखा समिति) को उक्त लेखों के सदन में उपस्थापित किये जाने की तिथि से **तीन माह की अवधि** के अन्दर आवश्यक रूप से भिजवायी जानी हैं। विभागों द्वारा निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रेषित नहीं किये जाने की स्थिति को जनलेखा समिति द्वारा अत्यधिक गंभीरता से लिया जाता है।

अतः अनुरोध है कि विनियोग एवं वित्त लेखे वर्ष 2024–25 में समाविष्ट आपके विभाग/अधीनस्थ विभागों से संबंधित समस्त मांगों (Grants) में हुए आधिक्य/बचत के संबंध में लेखाशीर्षवार उत्तर/टिप्पणी निर्धारित समयावधि तीन माह **(दिनांक 02–05–2026 तक)** में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–I) राजस्थान से संवीक्षोपरान्त 30 प्रतियों में राजस्थान विधानसभा (जनलेखा समिति) को भिजवाने का कष्ट करावें। राजस्थान विधान सभा को भिजवाये जाने वाले संवीक्षित उत्तर/टिप्पणी की चार प्रतियाँ प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–I) राजस्थान तथा एक–एक प्रति निदेशक, वित्त (बजट) विभाग एवं संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी भिजवाये जाने की व्यवस्था कराने का कष्ट करावें।

(वैभव गालरिया)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
राजस्थान सरकार, जयपुर।

क्रमांक : प.1(1)वित्त/अंकेक्षण/2026 जयपुर, दिनांक : 10-02-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा (जन लेखा समिति) जयपुर ।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर ।
3. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–I/लेखापरीक्षा–II) राजस्थान,जयपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
5. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, वित्त विभाग ।
6. निदेशक, निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर
7. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
8. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग।
9. संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल) विभाग राजस्थान, जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त शासन सचिव